

प्रपत्र संख्या-4  
**विक्रय की उद्घोषणा**  
(नियम 29 व 54)

न्यायालय सहायक खनि अभियंता(वसूली), खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटपूतली एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956(राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956) की धारा 230-235-237 के अधीन चूक करने वाले श्री रणजीत गुर्जर पुत्र श्री रामवतार गुर्जर निवासी पवाला राजपूत तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा, तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पत्ति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है, विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों में सम्पत्ति का विक्रय किया जायेगा।

61/64/2024 स्थान को किसी आज्ञा के अभाव में, विक्रय श्री अशोक वर्मा, खनि कार्यदेशक-II के द्वारा दिनांक को 11.00 ए.एम. से 5.00 पी.एम तक स्थल डाक बंगला, कोटपूतली में किया जायेगा। तथापि किसी भी लॉट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में निर्दिष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्च दे दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा। विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये हैं, परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में लॉट को तुरंत नीलाम के लिये फिर से रखा जायेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि वह बोली लगाने के लिये वैधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि उंची बोली को मंजूर करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।
4. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ओर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थगित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में, प्रत्येक लॉट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत, विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विक्रय में होने वाले खर्च के लिये तथा पुनः विक्रय कि कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिये उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजस्व बकाया हो।

(ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम, सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बंद होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि के क्रय-मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी और दोषी खरीददार सम्पत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिये वह फिर से बेची जाये, समस्त हक खो बैठेगा।

- (घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।
7. (क) भूमि समस्त भारों से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के संबंध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।
- (ख) उपरोक्त पैरा(क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फैक्ट्रियों के निर्माण के लिये या बागो तालाबों नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।
- (ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुये भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा चुकने से पूर्व किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मार्फत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाय जैसा कि सरकार उचित समझे।

#### अनुसूची

#### वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम:-41,29,75,443/-
2. कुर्की का खर्चा:-नियमानुसार।
3. विक्रय का या यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चा:-नियमानुसार

योग:-41,29,75,443/-

बेची जाने वाली सम्पत्ति:-कुर्क-शुद्धा सम्पत्ति ग्राम पवाला-राजपूत में खसरा नं. 152 में से बाकीदार का नोशनल(काल्पनिक) हिस्सा 0.375 हैक्टर।

|                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समूहों(लॉटो) की संख्या:-                                                                                                                                                                                          |
| बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण:-कुर्क-शुद्धा सम्पत्ति ग्राम पवाला-राजपूत में खसरा नं. 152 में से बाकीदार का नोशनल(काल्पनिक) हिस्सा 0.375 हैक्टर।                                                                |
| राजस्थान एक्ट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्व:-                                                                                                                            |
| भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मार्फत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 236 की उप-धारा |

क्रमांक:-सखअ/कोट/वसूली/2024/162

दिनांक:-06/03/2024

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर, कोटपूतली-बहरोड़।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली।
3. श्रीमान अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, कोटपूतली।
4. तहसीलदार कोटपूतली।
5. डीएमजीओएमएस, को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी विज्ञापित को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करावें। *mines & geology department udaipur*
6. पुलिस थाना कोटपूतली को तामील कराने हेतु।
7. खनि कार्यदेशक-II, कार्यालय हाजा।
8. नगर पालिका कोटपूतली।
9. श्री रणजीत गुर्जर पुत्र श्री रामवतार गुर्जर निवासी पवाला-राजपूत तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई है।



*31/3/24*  
सहायक खनि अभियंता (वसूली)  
खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटपूतली